



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00015
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00506
अपीलकर्ता श्री अनीस खान

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.12.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस.चिकारा CPIO (DR to ICAR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	31.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	09.01.2025
निर्णय की तारीख	31.01.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“3.A. - मैंने एक अपील दि. 08.10.2024 को आपके कार्यालय में रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजा था। मेरी अपील आपके कार्यालय में कब मिली तारीख बताया जाए। मैं मेरी दूसरी अपील की सुनवाईयों के बारे में मा.महोदया Ms. Anandi Ramalingam के अदालत में दूसरी अपीलों की सुनवाई ना दिया जाए। ऐसा हम अपील में निवेदन किया हैं। मेरी जो तीन सुनवाईयां हुई है

CIC/IBANK/A/2023/135539, CIC/IBANK/A/2023/145399, CIC/IBANK/A/2023/136734 जिसकी सुनवाई पुना दूसरे कमिशनर से कराई जाए ऐसा निवेदन किया था, मेरी अपील मंजूर कि गई या रिजेक्ट कि गई कृपया बताया जाए।

3. B - ये अपीले जो सुनवाई हुई है इस अपीलों के आदेश का चेलेंज की हाईकोर्ट में किया जा सकता है। अपीलकर्ता मुंबई में है। सूचना आयोग नई दिल्ली में। जिस बैंकसे जानकारी मांगी गई है वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। लोक सूचना अधिकारी बंगलौर में है तो मुझे इस अपील के फैसले के आदेश के खिलाफ किस हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा कृपया बताया जाये।

3. C. - ये महोदया जबसे सूचना आयोग बनी तबसे कितनी अपीलों की सुनवाई कि, उन सुनवाईयों में कितने अपीलों पर जानकारी दिलवाई, और उन सुनवाईयों में कितने लोग सूचना अधिकारीयों पर पेनल्टी लगाई, उन सुनवाईयों में कितने अपील कर्ताओं को मुआवजा दिलवाई सबका पूरा ब्यौरा दिया जाये।

2. प्रदान की गई सूचना

कर्मल एस.एस.चिकारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 28.10.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Point 3 A – The appeal for change of Commission was received late after issue of notice for hearing. Hence all the cases in question were heard.

Point 3 B – The said question being asked is query which do not come under RTI Act.

Point 3 C – No such data is being maintained at the Registry.

3. प्रथम अपील का आधार

“अपीलकर्ता को गुमराह करनेवाली एवं सूचना आयोग के फैसले की जानकारी न देने की वजह से प्रथम अपील दायर की है।”

4. निर्णय

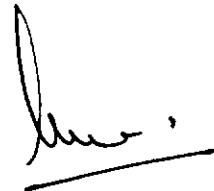
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00506 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी

जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।

इसलिए इस प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की दिनांक : 31.01.2025

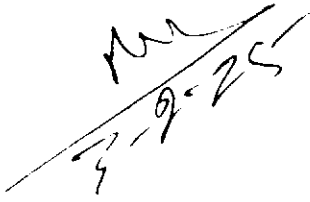


रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


3-9-25

o/c

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
03 FEB 2025
D. No.....
Initials..... 